Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Miscellaneous Case No.- 88/2023

Md. Manirul Islam @ Manirul Haque ..... Petitioner

Versus

The State of Bihar ..... Opposite Party

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	20.06.2023	**आदेश** प्रस्तुत विविध वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम की धारा–15(A) के अंतर्गत दायर किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका कथन है कि मौजा–बेलौरी, पुराना खाता सं0–239, पुराना खेसरा सं0–28 एवं 29, चक खाता सं0–555, चक खेसरा सं0–19, रकवा–क्रमशः 84डी0 एवं 1.62 एकड़, कुल–2.46 एकड़ (4.95 एकड़ में से) विवादित भूमि है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, पूर्णिया द्वारा उक्त भूमि से संबंधित वाद सं0–353/2013–14 एवं 329/2013–14 में समेकित रूप से दिनांक 04.03.2015 को आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रसादी उराँव एवं अन्य द्वारा इस न्यायालय में भूमि विवाद अपील सं0–191/2015 दायर किया गया जिसमें विधिवत् सुनवाई करते हुए दिनांक 25.07.2018 को अपील आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रसादी उराँव वगैरह द्वारा The Bihar Land Tribunal, Patna में B.L.T. Case No. 638/2018 दायर किया गया जिसमें माननीय अध्यक्ष द्वारा पक्षकारों की सुनवाई कर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को संपुष्ट करते हुए दिनांक 05.09.2019 को वाद खारिज कर विपक्षियों को सक्षम न्यायालय में जाने का निदेश दिया गया। इनका आगे कथन है कि थाना सं0–107, पुराना खाता सं0–239, पुराना खेसरा सं0–28,29 एवं 30, चक खाता सं0–656, चक खेसरा सं0–19, रकवा–84डी0 मात्र भूमि धारित करते हैं जिसकी चौहद्दीः– उत्तर–नीज बासा, दक्षिण–खेसरा सं0–31,32,33,34,53, पूरब–बाँध, पश्चिम–सड़क है। आवेदक द्वारा धारित मात्र 84डी0 भूमि पर दखल दिलाने का अनुरोध किया गया है।	

Web Copy. Not Official.

		आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में क्रमशः	
	लगातार 20.06.2023	संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, पूर्णिया अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय एवं B.L.T. Case No. 638/2018 में आवेदक के पक्ष में आदेश पारित है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता–सह–सक्षम प्राधिकार, सदर, पूर्णिया को बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधित) अधिनियम, 2015 की धारा 15A (1–4) के अंतर्गत निरूपित प्रावधानों के अनुरूप निदेश दिया जाता है कि यदि किसी वरीय न्यायालय का कोई अन्यथा आदेश न हो तो आवेदक के पक्ष में धारित भूमि पर विधिवत् सीमांकन कराते हुए दखल–कब्जा प्रदान कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy . Not Official.